संख्या-16/2021/503/58-1-2021-2/1(75)/09

प्रेषक,

गरिमा यादव,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2021

विषय : **वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई0सी0सी0ई0 अर्न्तगत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा हेतु बाल उपयोगी पुस्तकों की आपूर्ति हेतु एन0बी0टी0 को अग्रिम आहरण की स्वीकृति।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1799/बा.वि.परि./लेखा/2020-21, दिनांक 05.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई0सी0सी0ई0 अर्न्तगत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले 03-06 वर्ष के बच्चों हेतु एन0बी0टी0 द्वारा प्रकाशित किताबों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-02-समन्वित बाल विकास योजना (के0-60/रा-40-के0+रा0) के मानक मद 42-अन्य व्यय के अर्न्तगत प्री-स्कूल किट/ ई0सी0सी0 मद हेतु कुल उपलब्ध धनराशि रू0 3000.00 लाख में से रू0 5,58,10,600.00 (पांच करोड़ अट्ठावन लाख दस हजार छः सौ रूपये मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण कर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (**National Book Trust, India**) को भुगतान किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017, शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.2011 तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-12/2021/3381/58-1-20-2/1(75)/09, दिनांक 04 फरवरी, 2021 में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) योजना से सम्बन्धित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सुसंगत गाइडलाइन्स एवं नियमों का पालन किया जायेगा।

(5) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग होगा।

(6) कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उसके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(7) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(8) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(9) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) समस्त अग्रिम का समायोजन 31.03.2021 तक नियमानसुार कराया जायेगा।

(11) इस हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-02-समन्वित बाल विकास योजना (के0-60/रा-40-के0+रा0) के मानक मद 42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-188/दस-2021, दिनांक 01 मार्च, 2021 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-16/2021/503(1)/58-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1।
4. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी,निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in